अंतरिम कार्यालय ज्ञापन

(आरटीआई सेल)

"अति आवश्यक"

प्रेषक: सीपीआईओ (हडको मुख्यालय)	सेवा में: सभी विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय प्रमुख/एपीआईओ

दिनांक: 27-03-2018

विषय: तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी - के संबंध में

यह देखा गया है कि कुछ सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में तीसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने के लिए सीधे तीसरे पक्ष को लिख रहे हैं, जो आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुरूप नहीं है। इस अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत, केवल केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नियुक्त अधिकारी को "अनुरोध के बारे में तीसरे पक्ष को लिखित सूचना देने और इस तथ्य के बारे में कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है, इस बारे में कि क्या सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए, और सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष की ऐसी प्रस्तुति को ध्यान में रखा जाएगा"

उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) से अनुरोध किया जाता है कि वे भविष्य में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष को सीधे न लिखें। उपरोक्त के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष/एपीआईओ को आवेदक के साथ सीधे तौर पर कोई पत्राचार नहीं करना चाहिए, आरटीआई अधिनियम के अनुसार केवल सीपीआईओ को ही आवेदक के साथ पत्राचार करने का अधिकार है।

एस के मिश्रा

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी